

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर

प्रकरण संख्या 01/22( इजराय)


उनवान ग्यारस्या बनाम सरकार वगैरह


दिनांक: 14.05.2022

पत्रावली आज द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में आयोजित होने पर में पेश हुई। न्यायालय द्वारा वादपत्र संख्या 188/2013 दिनांक 23.08.2018 को अंतिम रूप से डिक्री किया गया जिसकी इजराय पेश हुई। डिक्री की पालना तहसीलदार मंडावर द्वारा कार्यालय पत्रांक/भू. अ./22/471 दिनांक 13.05.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वादपत्र के निर्णय में जमाबंदी में नाम शुद्धि का नामान्तरण दिनांक 12.03.2022 को दर्ज कर स्वीकृत हो चुका है।

अतः अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
महवा (दौसा)  
(न्यायाधीश मण्डावर)

  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
महवा (दौसा)